न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 30/2021

दायर दिनांक :- 05.07.2021

उनवान

1. घासी पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र रामधन
2. सीताराम पुत्र रामधन
3. मीठलाल पुत्र रामधन
4. झूंथी देवी पत्नि रामधन

जाति मीना निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।

5. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार दौसा।

उपस्थित : 1. श्री दयाराम गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.11.22 11:02:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा - अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0

::निर्णय::

दिनांकः 12.09.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि खसरा न0 467 रकबा 0.60 है0, ख0न0 468 रकबा 0.26 है0, ख0न0 518 रकबा 0.11 है0, खसरा न0 519 रकबा 0.10 है0, ख0न0 540 रकबा 0.09 है0, ख0न0 541 रकबा 0.25 है0, ख0न0 847 रकबा 0.08 है0, ख0न0 848 रकबा 0.86 है0, ख0न0 850 रकबा 2.07 है0, ख0न0 851 रकबा 0.03 है0, ख0न0 852 रकबा 0.60 है0, ख0न0 853 रकबा 0.55 है0, ख0न0 854 रकबा 0.34 है0, ख0न0 855 रकबा 0.28 है0, ख0न0 856 रकबा 0.40 है0 तथा ख0न0 858 रकबा 0.33 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 6.95 है0 स्थित है। प्रार्थी का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा बतौर खातेदार जमाबंदी में अंकित है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का प्रार्थी द्वारा वाहमी रूप से बंटवारा कर रखा है। उक्त भूमि का विधिवत तकास्मा नही होने के कारण अप्रार्थीगण आये दिन झगड़ा करते है तथा प्रार्थी के खेतो पर जबरदस्ती कब्जा करने को आमादा रहते है। उक्त भूमि का विधिवत रूप से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य तकास्मा नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड में भूमि संयुक्त खातेदारी दर्ज है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1लगा0 5 को पाबन्द फरमावे कि वे ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा न0 467, ख0न0 468, ख0न0 518, खसरा न0 519, ख0न0 540, ख0न0 541, ख0न0 847, ख0न0 848, ख0न0 850, ख0न0 851, ख0न0 852, ख0न0 853, ख0न0 854, ख0न0 855, ख0न0 856 तथा ख0न0 858 कुल किता 16 कुल रकबा 6.95 है0 भूमि में प्रार्थी के 1/2 हिस्से के कब्जे में दखलदांजी नही करें तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा करने से अस्थाई रूप से प्रतिबन्धित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.11.22 11:02:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 29.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दिनांक 12.09.2022 को बहस सुनी गई।

1.**<u>प्रथम दृष्ट्या मामला:-</u>** इसका अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया क्युंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्ट्या मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है। उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि खसरा न0 467 रकबा 0.60 है0, ख0न0 468 रकबा 0.26 है0, ख0न0 518 रकबा 0.11 है0, खसरा न0 519 रकबा 0.10 है0, ख0न0 540 रकबा 0.09 है0, ख0न0 541 रकबा 0.25 है0, ख0न0 847 रकबा 0.08 है0, ख0न0 848 रकबा 0.86 है0, ख0न0 850 रकबा 2.07 है0, ख0न0 851 रकबा 0.03 है0, ख0न0 852 रकबा 0.60 है0, ख0न0 853 रकबा 0.55 है0, ख0न0 854 रकबा 0.34 है0, ख0न0 855 रकबा 0.28 है0, ख0न0 856 रकबा 0.40 है0 तथा ख0न0 858 रकबा 0.33 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 6.95 है0 स्थित है। प्रार्थी का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा है। प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। हमारा विनम्र अभिमत है कि रिकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में जाता है।

2.**<u>सुविधा का संतुलन:-</u>** अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा के संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नही दिया गया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नही होगी। चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.11.22 11:02:49 IST
Reason: SelfAttested

3.अपूरणीय क्षतिः- उक्त प्रार्थना के आलोक में प्रथम दृष्ट्या मामला [illegible] सुविधा का संतुलन दोनो प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हुये है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण [illegible] राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

अतः हमारा भी विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनो बिन्दू यथाः- प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना को स्वीकार किया जाना हम विधि संगत समझते है।

:: आदेश ::

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का पारित किया जाता है कि ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि खसरा न0 467 रकबा 0.60 है0, ख0न0 468 रकबा 0.26 है0, ख0न0 518 रकबा 0.11 है0, खसरा न0 519 रकबा 0.10 है0, ख0न0 540 रकबा 0.09 है0, ख0न0 541 रकबा 0.25 है0, ख0न0 847 रकबा 0.08 है0, ख0न0 848 रकबा 0.86 है0, ख0न0 850 रकबा 2.07 है0, ख0न0 851 रकबा 0.03 है0, ख0न0 852 रकबा 0.60 है0, ख0न0 853 रकबा 0.55 है0, ख0न0 854 रकबा 0.34 है0, ख0न0 855 रकबा 0.28 है0, ख0न0 856 रकबा 0.40 है0 तथा ख0न0 858 रकबा 0.33 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 6.95 है0 भूमि में अप्रार्थीगण ताफैसला वाद किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न करे तथा भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक **12.09.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.11.22 11:02:49 IST
Reason: SelfAttested